स्वस्थ भारत के माध्यम से स्वच्छ भारत से सुन्दर भारतः स्वच्छ भारत मिशन का विश्लेषण

08
अध्याय

वसुधाकीटसर्पाखुमलसंदूषितोदकाः।
क्रिमिलं क्लिन्नं पर्णशैवालकदमैं। विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धं न हितं जलम्।। च.सू.

''बरसात का पानी, मिट्टी, कृमि, कीट, सर्प, चूहा आदि के मलों से दूषित होकर नदियों में जाकर मिलता है, इसलिए सब नदियों का पानी दूषित होता है, इसलिए इस ऋतु में नदियों का पानी दोष बढ़ाने वाला होता है। जो पानी कृम युक्त क्लिन्न, पत्ते, सरवाल अथवा कीचड़ से मिला, जिस पानी का रंग बदल गया हो, रस बिगड़ गया हो, सान्द्र (तरल न हो, गाढ़ा हो), दुर्गंध युक्त हो, वह जल हितकारी नहीं है।''

चरक संहिता

महात्मा गांधी के आदर्शों की तर्ज पर, वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरूआत की गई थी। इसका लक्ष्य 02 अक्तूबर, 2019 तक प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज़ हासिल करना है। यह फ्लैगशिप कार्यक्रम, संभवतया, विश्व में अभी तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान और स्वच्छता के प्रति लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए एक प्रयत्न है। भारत की आजादी के 67 साल बाद भी, 2014 में, भारत में लगभग 100 मिलियन ग्रामीण और लगभग 10 मिलियन शहरी परिवारों के पास स्वच्छ शौचालय नहीं था; देश की लगभग आधी आबादी, अर्थात 564 मिलियन लोग अभी तक खुले में शौच जाते थे। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए, भारत की 99.2 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को कवर किया गया है। अक्तूबर, 2014 से, देशभर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और 554,658 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 14 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार, 30 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ऐसे हैं, जहां व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) कवरेज़ 100 प्रतिशत है। एसबीएम से स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए, यह नया साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया और मलेरिया, मृत जन्म और जन्म के समय कम भार (2.5 किग्रा. से कम भार वाले नवजात) में कमी लाने में मदद मिली है। ये प्रभाव खासकर उन जिलों में प्रमुख हैं जहां वर्ष 2015 में आईएचएचएल कवरेज कम थी। परिवार के शौचालय प्रयोग से वित्तीय बचतें परिवार की वित्तीय लागतों की तुलना में औसतन 1.7 गुना और निर्धनतम परिवारों के लिए 2.4 गुना तक बढ़ जाती हैं। चूंकि, विगत चार वर्षों में स्वच्छता धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेषतौर पर एसडीजी 6.2 में योगदान करती है, अतः स्वच्छता को भारत की चेतना का अभिन्न अंग बनाने के लिए इसके संवेग को बनाए रखा जाना चाहिए।

प्रस्तावना

8.1 महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ''स्वच्छता, स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।'' स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में गरिमापूर्ण जीवन के लिए भी उचित स्वच्छता और साफ-सफाई आवश्यक घटक हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगर योजना में अति सावधानीपूर्वक स्वच्छता प्रणालियों का सतर्कतापूर्वक एकीकरण करके स्वच्छता को प्राथमिक महत्व प्रदान किया गया था। यद्यपि, स्वच्छता और साफ-सफाई को विश्व की सभी संस्कृतियों और धर्मों में नैतिक सदगुण माना जाता है, फिर भी अस्वास्थकारी परिस्थितियों की व्यापकता एक ऐसी समस्या रही है, जिसका ज्यादातर देशों ने अपने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में किसी न किसी समय पर सामना किया है। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के औद्योगिक नगरों में व्याप्त अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों को अनेक व्यक्तियों ने इंगित किया है।

8.2 विश्व के अनेक भागों में मूलभूत स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच की कमी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। वर्ष 2015 में, विश्वभर में, 2.3 बिलियन लोगों के पास मूलभूत स्वच्छता सेवाओं का अभाव था। (जेएमपी, 2017)। भारत में स्वच्छता की कमी को एक प्रमुख समस्या के रूप में माना गया है। भारत की आजादी के 67 साल बाद भी, 2014 में, भारत में लगभग 10 करोड़ ग्रामीण और लगभग एक करोड़ शहरी परिवारों के पास स्वच्छ शौचालय नहीं थे और 55 करोड़ लोग-देश की लगभग आधी आबादी-अभी तक खुले में शौच जाते थे। वास्तव में, स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला राष्ट्रीय तथ्य यह था कि भारत में खुले में शौच का प्रतिशत वैश्विक रूप से खुले में शौच का 60 प्रतिशत था। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 5.2 प्रतिशत गंदगी से निपटने पर खर्च करता है (LIXIL, वाटर एड एंड ऑक्सफोर्ड इकॉनॉमिक्स, 2016)।

8.3 सरकार द्वारा एक मिशन के रूप में चलाकर भारत को स्वच्छ बनाने के कार्य करने को महत्व देना, 02 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के शुभारम्भ के समय राजघाट से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखाई दिया था। उन्होंने घोषणा की: ''अगर भारत के लोग मामूली खर्च पर मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं, तो वे अपनी गलियों और कालोनियों को साफ क्यों नहीं रख सकते हैं।'' स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरूआत एक बहु-आयामी अवधारणा के रूप में की गई थी ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस मिशन के तहत केवल शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं रहा है, बल्कि समुदायों में व्यवहारवादी परिवर्तन लाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जैसाकि विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बृहत आर्थिक विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, स्वच्छतर भारत से मिलने वाले लाभ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम)

8.4 स्वच्छता के क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 2 अक्तूबर, 2014 को, महात्मा गांधी की जयंती पर, प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वच्छ भारत (क्लीन इंडिया) मिशन की घोषणा की ताकि स्वच्छता, साफ-सफाई को बढ़ावा देकर और खुले में शौच जाने को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इस मिशन के लक्ष्यों को, राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर, 2 अक्तूबर, 2019 तक हासिल किया जाना है।

8.5 स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहु-आयामी अवधारणा को अपनाया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- *समुदाय की भागीदारी:* स्वामित्व तथा अनवरत प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निर्माण करने में लाभार्थी/समुदायों की समुचित भागीदारी, वित्तीय रूप से या अन्यथा, सुनिश्चित करना।
- *विकल्प में नम्यता:* स्वच्छ भारत मिशन में कई विकल्प मुहैया कराकर नम्यता प्रदान की गई है ताकि गरीब/वंचित परिवार बाद में अपनी जरूरतों और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अपने शौचालयों को बेहतर बना सकें। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्वच्छ शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके, जिससे मल का सुरक्षित परिरोध और निपटान सुनिश्चित होता है। आने वाली लागत के साथ प्रौद्योगिकीय विकल्पों की उदाहरणात्मक सूची उपलब्ध कराई गई है ताकि प्रयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और स्थान-विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- *क्षमता निर्माण:* स्वच्छ भारत मिशन से आरंभिक स्तर पर आदतों में बदलाव लाकर जिलों की संस्थागत क्षमता वृद्धि और क्रियान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं में सुधार करेगा ताकि दृढ़ता से इस कार्यक्रम को एक समय-बद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और सामूहिक निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जा सके।
- *व्यवहार में परिवर्तन:* समुदायों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कार्यकलापों का क्रियान्वयन करने हेतु राज्य-स्तरीय संस्थाओं के निष्पादन को प्रोत्साहित करना। जागरूकता लाने पर जोर देना, सोच बदलने पर ध्यान देना, घरों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, सामुदायिक सार्वजनिक स्थानों में सफाई संबंधी सुविधाओं के लिए सामुदायिक व्यवहार में बदलाव लाना तथा मांग सृजन करना और ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलापों पर जोर देना।
- *व्यापक प्रतिबद्धता:* स्वच्छ भारत मिशन के तहत

स्वच्छ भारत कोष की स्थापना की गई ताकि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को बढ़ावा दिया जा सके और निजी संगठनों, व्यक्तियों और समाज-सेवियों से अंशदान स्वीकार किया जा सके।

- *प्रौद्योगिकी का प्रयोग:* इस कार्यक्रम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए शौचालयों की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए अनुमत करती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 90 प्रतिशत शौचालय पहले से ही मानचित्र पर निर्धारित कर दिए गए हैं। न केवल सरकार द्वारा अपितु कुछेक नागरिकों द्वारा भी अनेक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं, जो नगर निगमों का ध्यान अस्वच्छ क्षेत्रों की ओर खींचते हैं।

8.6 स्वच्छ भारत मिशन के तहत, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसमें जल-भंडारण, की व्यवस्था करना शामिल है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में केंद्र का हिस्सा 60 प्रतिशत है और राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए, केंद्र का हिस्सा 90 प्रतिशत है और राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत है। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त अंशदानों की भी अनुमति दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2014-15 से कुल 51,314.3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 48,909.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है (95.3 प्रतिशत) । इसके अतिरिक्त, 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 8,698.20 करोड़ रुपए की राशि पहले ही निकाली जा चुकी है। वर्ष 2014-15 से स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित निधियों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए जारी की गई निधियों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं (सारणी 1)।

सारणी 1: स्वच्छ भारत मिशन के लिए आवंटित निधियों और जारी की गई निधियों के ब्योरे (2015-19)

वर्ष	₹ (करोड़ में)		
	आवंटित निधियां	जारी की गई निधियां	निधि उपयोग (प्रतिशत)
2014-15	2850.0	2730.3	95.8
2015-16	6525.0	6363.0	97.51
2016-17	10513.0	10272.0	97.70
2017-18	16948.27	16610.9	98.0
2018-19 (RE) *	14478.1	12932.96	89.3

*(31.03.2019 तक)

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।

8.7 सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, आदिनांक, भारत के 98.9 प्रतिशत भाग को स्वच्छ भारत मिशन के दायरे में लिया जा चुका है। अक्तूबर, 2014 से, पूरे देश में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं (14.06.2019 तक)। 2014 से 2018 तक बनाए गए पारिवारिक शौचालयों की कुल संख्या में 50 लाख प्रतिवर्ष से कम पारिवारिक शौचालयों से प्रारंभ के मुकाबले में तीव्र प्रगति दिखाई देती है और यह संख्या 3 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष तक पहुंच गई है। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य ध्यान गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना रहा है। ओडीएफ का आशय मल-मौखिक पारेषण का समापन होगा, जिसकी परिभाषा यह होगी, (क) वातावरण/गांव में किसी भी तरह का मल दिखाई नहीं देगा, और (ख) प्रत्येक परिवार तथा सार्वजनिक/सामुदायिक संस्था (संस्थाएं) मल के निपटान के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का प्रयोग करेगा/करेगी/करेंगी। वर्ष 2015 से खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होती रही है (चित्र 1)। दिनांक 29.05.2019 की स्थिति के अनुसार, 5,61,014 गांव (93.41 प्रतिशत), 2,48,847 ग्राम पंचायतें (96.20 प्रतिशत) - 6,091 ब्लॉक (88.60 प्रतिशत) और 618 जिले (88.41 प्रतिशत) ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं।

चित्र 1: बनाए गए पारिवारिक शौचालयों और खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या (2015-19)

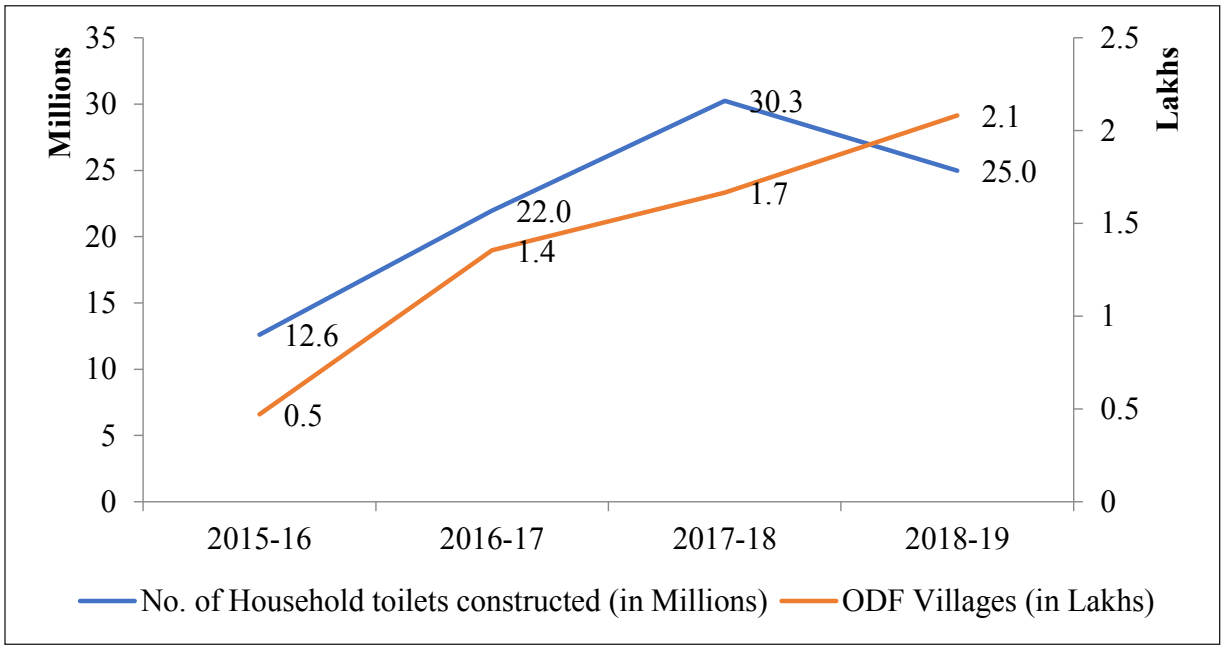

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।

8.8 अधिकांश राज्यों में 2014-15 की तुलना में 2018-19 में आईएचएचएल के प्रति महत्वपूर्ण रूप से काफी अधिक पहुंच दिखाई दी है (चित्र 2)। अधिकतर राज्यों ने 100 प्रतिशत आईएचएचएल कवरेज की स्थिति प्राप्त कर ली है और कुछेक राज्य ही अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं (चित्र 2)। गोवा में आईएचएचएल का कवरेज सबसे कम है, इसके बाद ओडिशा और तेलंगाना का स्थान है। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश 100 प्रतिशत आईएचएचएल कवरेज प्राप्त करने के काफी निकट हैं।

चित्र 2: 2014-15 और 2018-19 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (प्रतिशत)

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) 2014-15 (प्रतिशत)

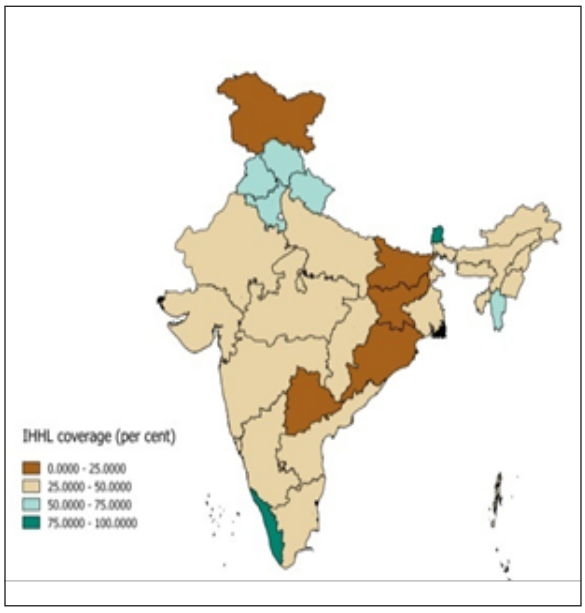

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) 2018-19 (प्रतिशत)

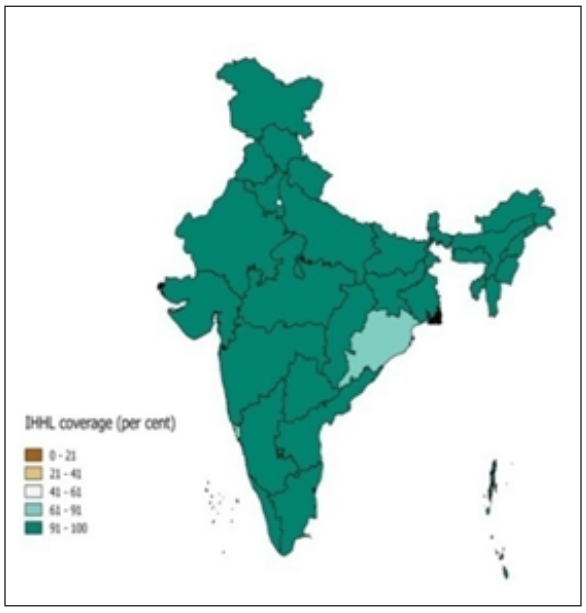

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।

8.9 आईएचएचएल कवरेज वाले कुछ राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों की तुलना का वर्णन चित्र 3 में किया गया है। गोवा ने एक अत्यधिक उच्च बेसलाइन से शुरूआत करने के बावजूद आईएचएचएल कवरेज की केवल लगभग 70 प्रतिशत परिपूर्णता ही दर्शाई है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों ने महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। ओडिशा में, अभी तक 90 प्रतिशत के स्तर तक का कवरेज हासिल किया जाना है जबकि आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों ने महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। पश्चिम बंगाल 2012-13 में अपने उच्च बेस से कवरेज को बढ़ाता रहा है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों ने भी 2015-16 से गति दर्शाई है।

चित्र 3: कुछ राज्यों में इनके पड़ोसी राज्यों की तुलना में आईएचएचएल कवरेज

गोवा और निकटवर्ती राज्यों में आईएचएचएल कवरेज (प्रतिशत)

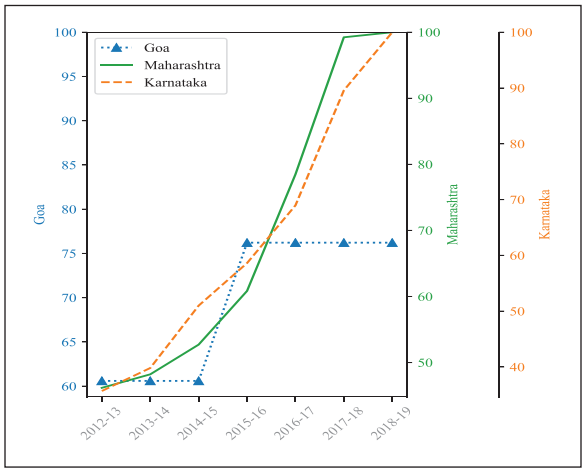

बिहार और निकटवर्ती राज्यों में आईएचएचएल कवरेज (प्रतिशत)

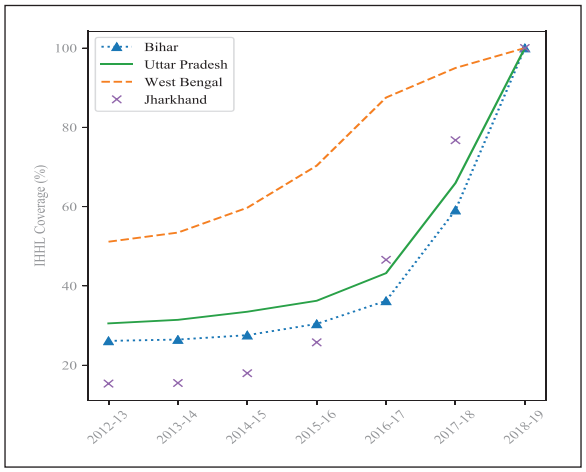

गुजरात और निकटवर्ती राज्यों में आईएचएचएल कवरेज (प्रतिशत)

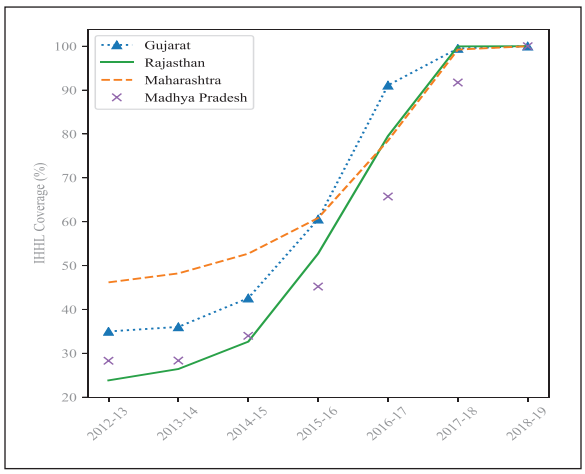

ओडिशा और निकटवर्ती राज्यों में आईएचएचएल कवरेज (प्रतिशत)

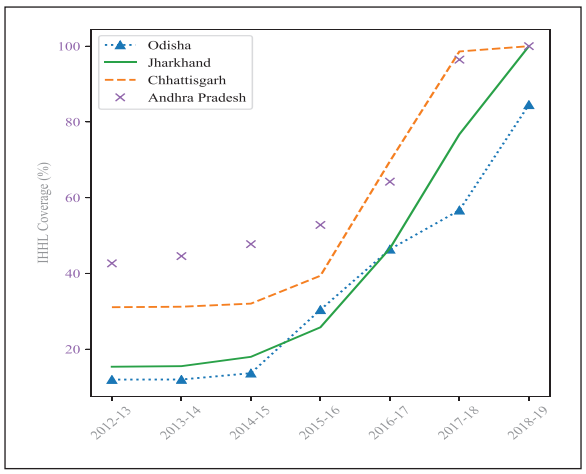

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।

ओडीएफ स्थिति के संबंध में सभी राज्यों की तुलना (प्रतिशत में)

8.10 अधिकांश राज्यों ने 100 प्रतिशत ओडीएफ कवरेज की स्थिति प्राप्त कर ली है तथा कुछेक राज्यों को अपने लक्ष्य अभी तक हासिल करने हैं (चित्र 4)। गोवा नें सबसे कम ओडीएफ कवरेज घोषित किया है, इसके बाद ओडिशा, तेलंगाना और बिहार का स्थान है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम 100 प्रतिशत ओडीएफ कवरेज प्राप्त करने के काफी नजदीक हैं।

चित्र 4: सभी राज्यों में ओडीएफ की स्थिति (प्रतिशत)

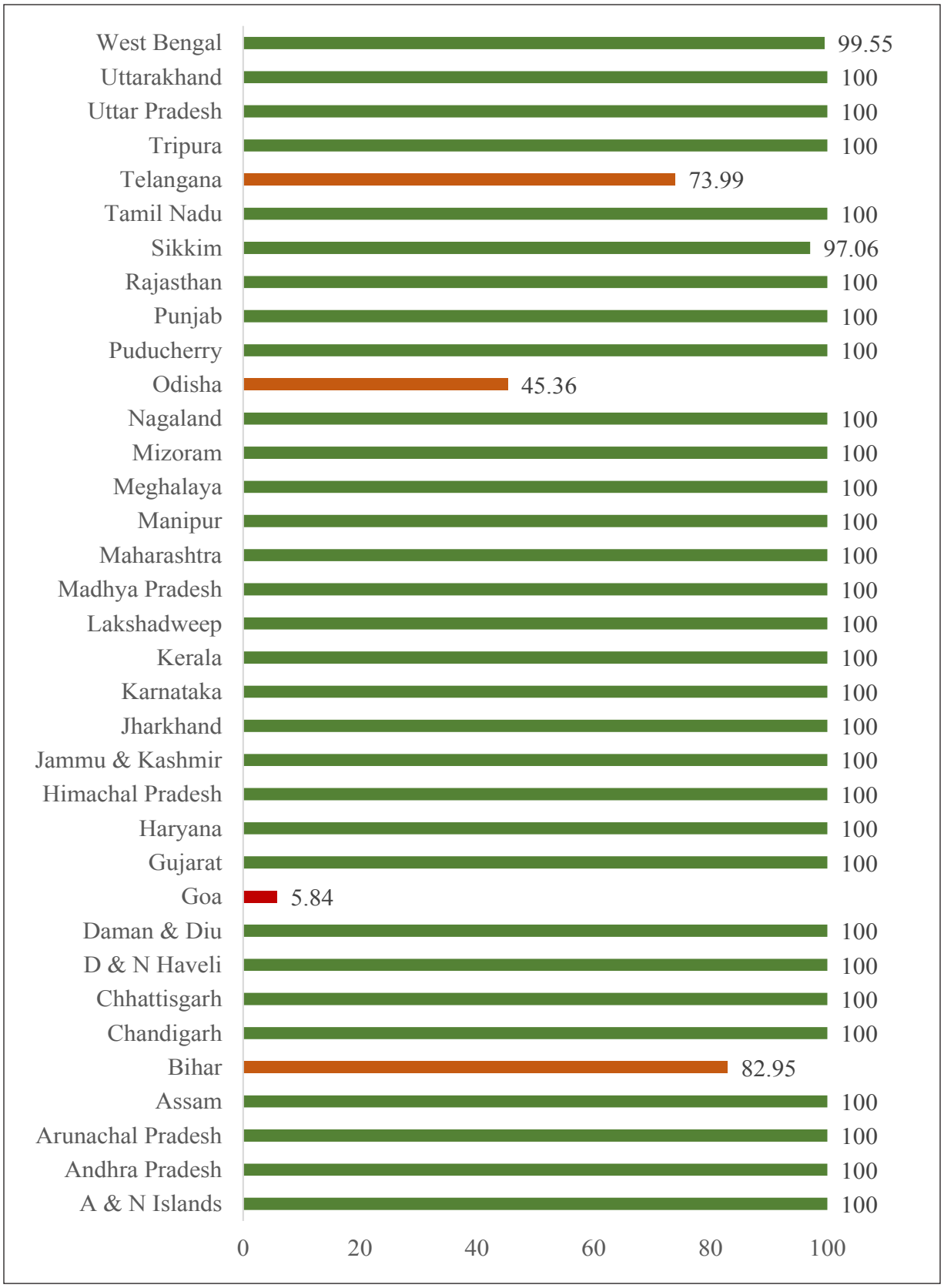

स्रोत: 2 मई 2019 के अनुसार एसबीएम डैशबोर्ड।

8.11 स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम की सफलता केवल सृजित अवसंरचना पर ही निर्भर नहीं करती है अपितु परिणामी व्यवहारजन्य परिवर्तन और व्यक्तियों द्वारा शौचालय के प्रयोग के पैटर्न से जुड़े परिवर्तनों पर भी निर्भर करती है। स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) 2018-19 में यह पाया गया है कि सर्वेक्षण की अवधि के दौरान 93.1 प्रतिशत परिवारों की पहुंच शौचालयों तक थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण भारत में 96.5 प्रतिशत परिवारों, जिनकी शौचालय तक पहुंच थी, ने उनका प्रयोग किया था। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण ने 90.7% गांव, जिन्हें विभिन्न जिलों/राज्यों द्वारा ओडीएफ के रूप में पहले घोषित और सत्यापित किया गया था, की खुले में शौच से मुक्त की पुनः पुष्टि भी की थी। यह उल्लेख करना भी रोचक है कि सर्वेक्षण किए गए 95.4% गांव ऐसे पाए गए थे जिनमें गंदगी मामूली थी और रुका हुआ पानी भी नाममात्र का ही था।

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

8.12 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। चूंकि वैज्ञानिक रूप से निपटान योग्य अपशिष्ट का सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अतः विभिन्न राज्यों, खासकर ग्रामीण गांवों में, अपशिष्ट के कुशलतापूर्वक निपटान के लिए प्रणाली की स्थापना की महती आवश्यकता है। इस संदर्भ में, अनेक राज्यों ने अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यकलापों, जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना, कम्पोस्ट खाद के गड्ढों के निर्माण, कूड़ेदानों के संस्थापन, कूड़े-करकट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए प्रणाली, नाली और खारे पानी के गढों के निर्माण की सुविधा और सोख्ता गडढों तथा स्थिरीकरण तालाबों के निर्माण जैसे अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं। इन कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से बड़ी मात्रा में निधियों का वितरण अपेक्षित है। चित्र 5 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विगत चार वर्षों के दौरान एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत केन्द्रीय हिस्से का व्यय दर्शाया गया है।

चित्र 5: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विगत 4 वर्षों के दौरान एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के हिस्से का व्यय (₹ लाख)

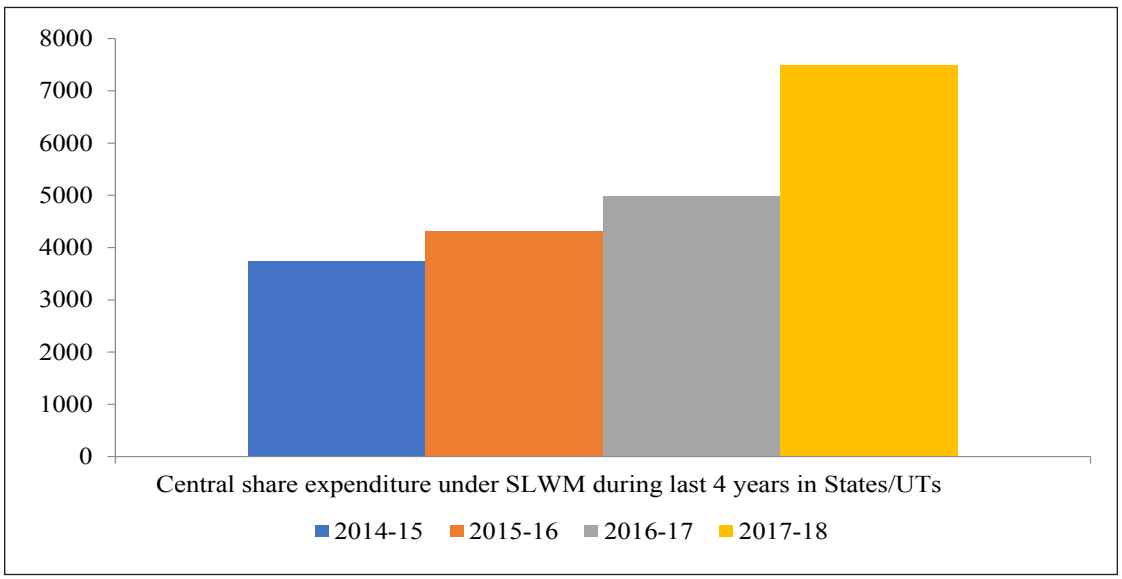

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय।

स्वच्छ भारत मिशन का स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रभाव

8.13 एसबीएम की सफलता का आकलन उन लाभों से किया जा सकता है जो इस कार्यक्रम के तहत कार्रवाइयों से ग्रामीण जनसंख्या को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक निष्कर्षों के रूप में प्राप्त होते हैं। बेहतर स्वच्छता का सीधा प्रभाव स्वास्थ्य के संकेतकों के रूप में दृष्टिगोचर होना चाहिए। भारत में 5 वर्ष से अल्पायु में मृत्यु का

मुख्य कारण अतिसार है। वर्ष 2013 में मृत्युओं में 11 प्रतिशत का कारण यही रोग था। पिछले 4 वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के बालकों में अतिसार के मामले बहुत कम हुए हैं।

8.14 मार्च 2014 में, भारत के 50 प्रतिशत जिलों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय कवरेज 33.5 प्रतिशत (मध्य मूल्य) से कम थी। स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए, हम भिन्नता-में-भिन्नता का अनुमान लगाते हैं। इस प्रयोजनार्थ, हम जिलों को दो समूहों में बांटते हैं पहला समूह वह है जहां 2015 तक आईएचएचएल कवरेज निम्न (मध्यम से कम) था और दूसरा समूह वह है जहां आईएचएचएल का कवरेज अधिक (मध्यम से ऊपर) था। चूंकि 2019 की स्थिति के अनुसार (चित्र 2), आईएचएचएल कवरेज लगभग सभी जगह तक पहुंच चुकी थी अत: आईएचएचएल कवरेज में वृद्धि दूसरे समूह की तुलना में जिलों के पहले समूह में काफी अधिक थी। इसलिए, हमारा अनुमान है कि दूसरे समूह की तुलना में पहले समूह के लिए स्वास्थ्य प्रभाव अधिक होंगे। इस अभिधारणा की जांच करने के लिए, हमने मार्च 2015 जब एसबीएम के क्रियान्वयन की शुरूआत हुई थी और मार्च 2019 जब भारत के अधिकतर जिलों में आईएचएचएल की 100 प्रतिशत कवरेज थी, के बीच इन दो समूहों में 5 वर्ष से कम आयु के बालकों और मृतशिशु जन्म तथा जन्म के समय कम भार मामलों में डायरिया और मलेरिया के मामलों की संख्या का अवलोकन किया। पहला समूह अर्थात कम आईएचएचएल कवरेज़ वाले जिले डायरिया, मलेरिया, मृतशिशु जन्म और जन्म के समय कम भार से दूसरे समूह अर्थात उच्च आईएचएलएल कवरेज़ वाले जिलों की तुलना में अधिक ग्रस्त थे-जो यह इंगित करता है कि देश में इन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण स्वच्छता और सफाई है। यह निष्कर्ष इस तथ्य की और इशारा करता है कि पर्याप्त स्वच्छता डायरिया, मलेरिया, मतृशिशु जनन और जन्म के समय कम भार मामलों में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है (चित्र 6 और चित्र 7)। इस विश्लेषण का एक मुख्य निष्कर्ष यह है कि एसबीएम के क्रियान्वयन के बाद दोनों समूहों में डायरिया और मलेरिया मामलों सहित इन सभी स्वास्थ्य संकेतकों में काफी सुधार हुआ है।

चित्र 6: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अतिसार और मलेरिया पर आईएचएचएल कवरेज का प्रभाव

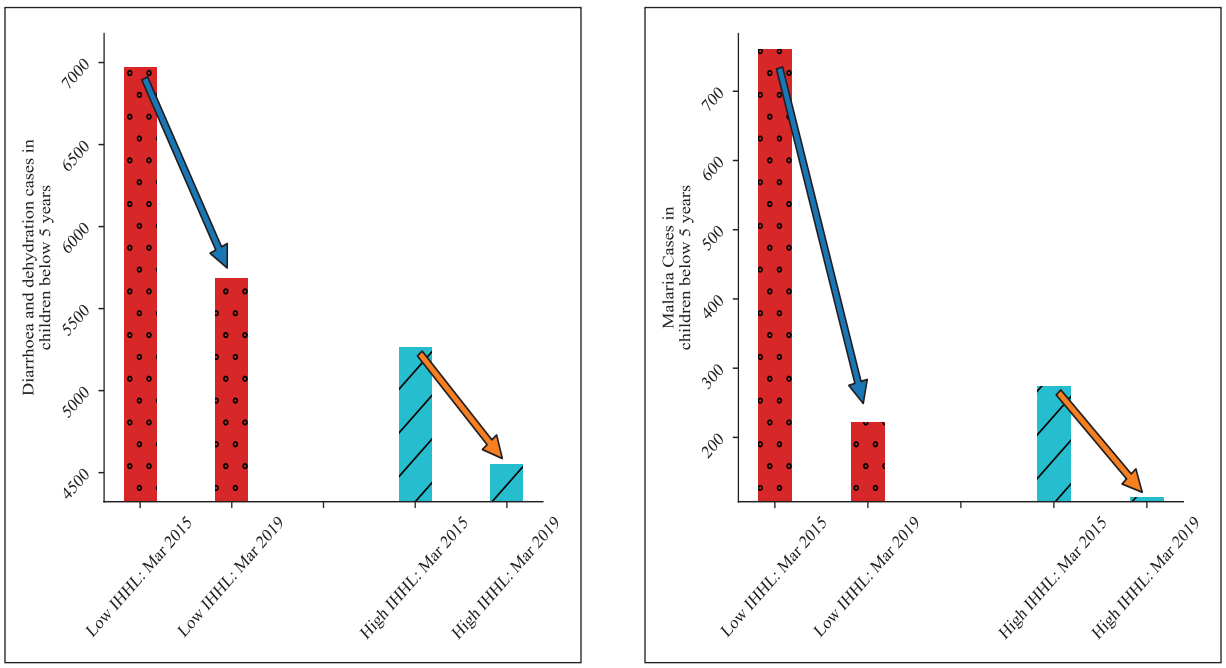

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; एसबीएम डेशबोर्ड -स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। से आईएचएचएल डाटा

टिप्पणी: हमने भारत के कुल 500 जिलों को दो भागों में बांटा है: पहले भाग में मार्च 2014 में 33.5 प्रतिशत से कम आईएचएचएल कवरेज वाले जिले और दूसरे में मार्च 2014 में 33.5 प्रतिशत से अधिक आईएचएचएल कवरेज़ वाले जिले शामिल हैं।

चित्र 7: स्वच्छता कवरेज और स्वास्थ्य लाभों के संबंध में मूल्यांकित और संभावित प्रगति

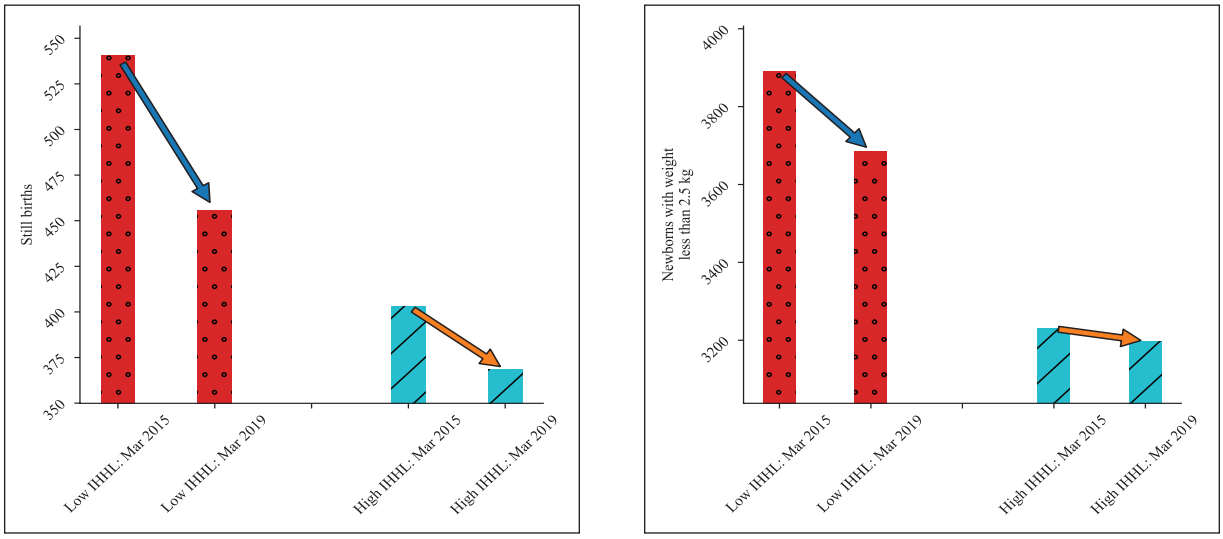

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एसबीएम डैशबोर्ड-स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, पेयजल, और स्वच्छता मंत्रालय से आईएचएचएल डाटा।

8.15 डायरिया के मामले पहले और दूसरे समूह में क्रमश: 2015 में लगभग 6968 और 5262 से घटकर 2019 में 5683 और 4550 रह गए। मलेरिया के मामले भी पहले और दूसरे समूह में क्रमश: 2015 में लगभग 761 और 273 से घटकर 2019 में 222 और 113 रह गए। मृत शिशु जन्म पहले और दूसरे समूह में क्रमश: 2015 में 540 और 403 से घटकर 2019 में 456 और 368 रह गया। जन्म के समय कम भार मामले पहले और दूसरे समूह में क्रमश: 2015 में 3890 और 3230 से घटकर 2019 में 3686 और 3198 रह गए। यह अध्ययन दर्शाता है कि स्वच्छता डायरिया और मलेरिया में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जबकि मच्छरदानियों का संवितरण, धुआं करने वाली मशीन और राष्ट्रीय वेक्टर जनहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गमबुसिया मछली हैचरिज का निर्माण और साफ पेयजल की व्यवस्था, ओआरएस तथा जिंगक, निमोनिया

चित्र 8: भारतीय राज्यों में डायरिया

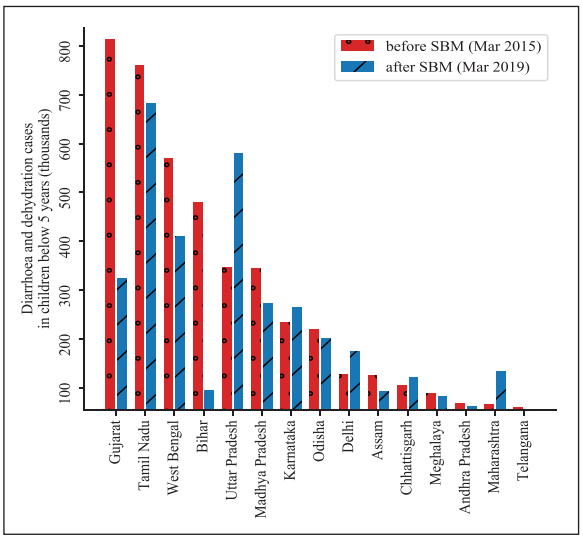

चित्र 9: भारतीय राज्यों में मलेरिया

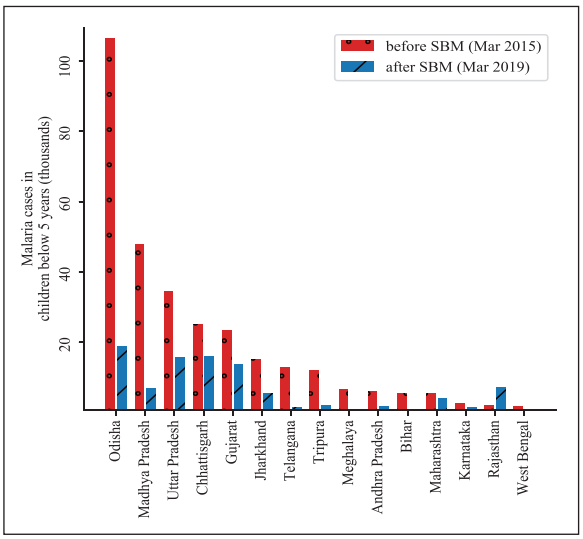

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

चित्र 10: भारतीय राज्यों में मृतशिशु जन्म

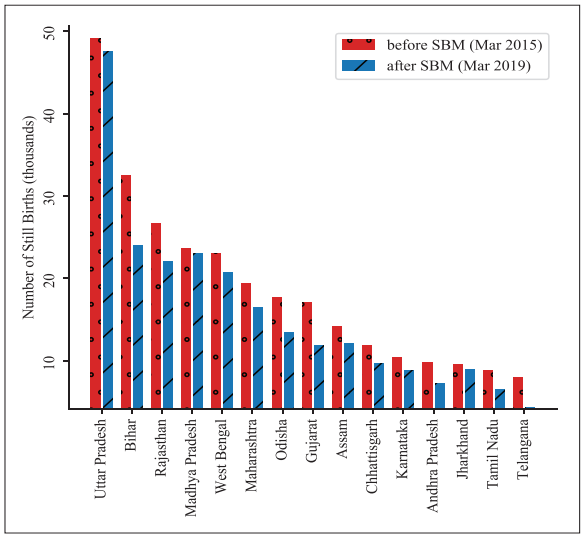

चित्र 11: भारतीय राज्यों में शिशु का जन्म के समय कम भार

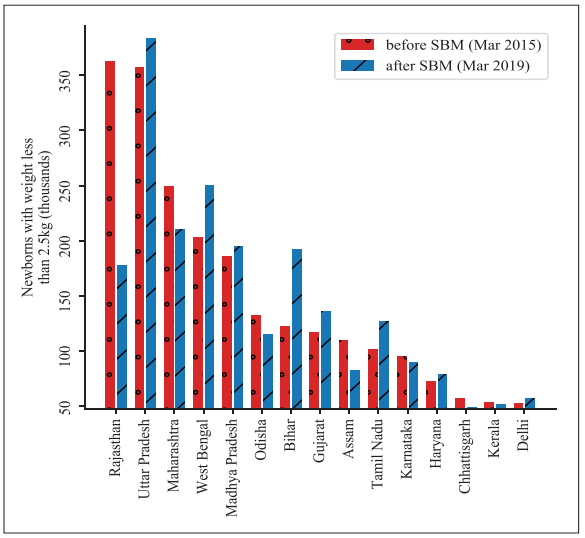

स्रोत: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणी: शिशु का जन्म के समय कम भार ऐसे मामलों को इंगित करता है, जहां पैदा हुए शिशु का भार 2.5 किलोग्राम से कम है।

और डायरिया निवारण और नियंत्रण हेतु एकीकृत कार्रवाई योजना के तहत हाथ धोने और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे अन्य कारकों ने भी मलेरिया और डायरिया को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की परंतु वे इस अध्ययन के दायरे में नहीं हैं।

8.16 उन्नत स्वच्छता और 100 प्रतिशत ओडीएफ के साथ, डायरिया के मामलों में गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे अनेक राज्यों में महत्वूर्ण कमी आई। (चित्र 8)। इसी प्रकार, मलेरिया, मृत शिशु जन्म और जन्म के समय कम भार के मामलों में सुधार दृष्टिकोण हैं (चित्र 9, चित्र 10 और चित्र 11)।

एसबीएम के प्रभाव: कुछ स्वतंत्र अध्ययन

8.17 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) ने पांच राज्यों–कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाल स्वास्थ्य और पोषण के मुख्य संकेतकों के संबंध में ओडीएफ स्थिति के प्रभाव को समझने के लिए स्वच्छता स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया था। राज्य में अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों में सामाजिक-सांस्कृतिक और क्षेत्रीय समरूपता सुनिश्चित करने के लिए गैर-ओडीएफ जिलों को चुना गया था। ओडीएफ बनने से बाल स्वास्थ्य और पोषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि ओडीएफ क्षेत्रों से संबंध रखने वाले बालकों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण संकेतक गैर-ओडीएफ क्षेत्रों में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर थे (चित्र 12)।

8.18 स्वच्छता और अतिसारजन्य बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर को सहबद्ध करके उपलब्ध नवीनतम साक्ष्य के आधार पर स्वास्थ्य लाभों का अनुमान लगाने के लिए

चित्र 12: वर्ष 2017 में ओडीएफ और गैर-ओडीएफ क्षेत्रों में डायरिया का प्रसार प्रतिशत में

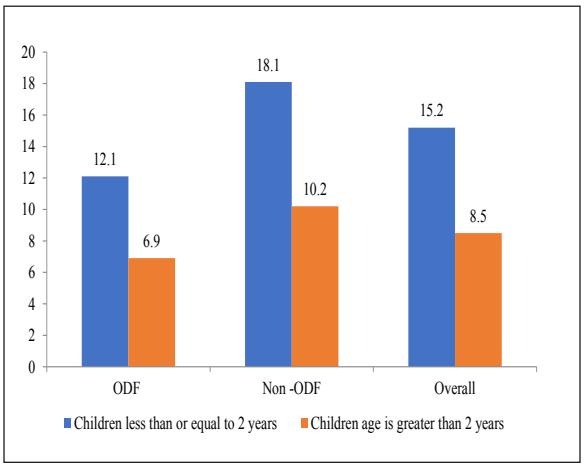

आधार (सभी बालक): 4985

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन नामत: ''स्वच्छ भारत मिशन - वर्धित स्वच्छता कवरेज़ से संभाव्य स्वास्थ्य प्रभावों के प्रारंभिक आकलन'' में स्वच्छ भारत मिशन पहल के साथ वर्धित स्वच्छता कवरेज़ के कारण अतिसारजन्य बीमारियों में कमी आने से होने वाले अनुमानित स्वास्थ्य लाभों के आरंभिक अनुमानों को दर्शाया गया था। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि 2014 में, अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत से पहले, अतिसार बीमारी के कारण होने वाली अनुमानित 1,40,000 मौतें ऐसी थीं, जो गंदगी के कारण होने वाली अतिसारजन्य बीमारी से हुई थीं; अतिसारजन्य बीमारी से होने वाली उन मौतों में से पांच वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या लगभग 39,000 थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत, से गंदगी से होने वाली मृत्यु-दर में 2017-18 में लगभग 50,000 तक की गिरावट आई है। इस अध्ययन में दर्शाया गया है कि स्वच्छता कवरेज की प्रगति और स्वास्थ्य लाभों के बीच स्पष्ट संबंध है (चित्र 13)।

8.19 पूर्व के अध्ययनों में दर्शाया गया है कि भारत में आर्थिक दृष्टि से स्वच्छता और साफ-सफाई कितनी

चित्र 13: स्वच्छता कवरेज और स्वास्थ्य लाभों पर मूल्यांकित और परियोजित प्रगति

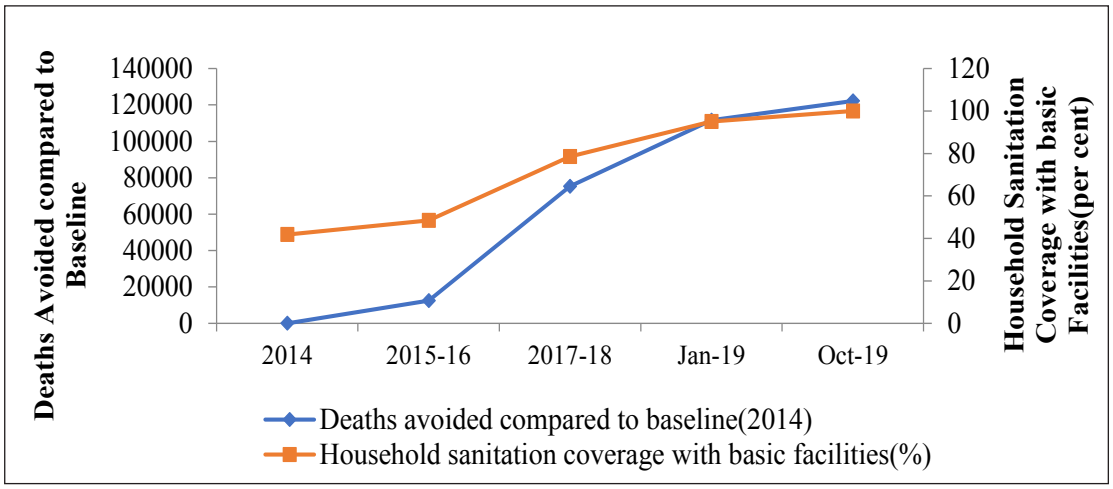

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

महत्वपूर्ण हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए भारत को कितना पैसा खर्च करना होगा। उदाहरणार्थ, विश्व बैंक ने वर्ष 2006 में भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभावों का आकलन किया था - जिसमें 2.4 ट्रिलियन रुपए (53 बिलियन अमरीकी डॉलर) के वार्षिक आर्थिक प्रभाव को दर्शाया गया है और उसी वर्ष में 2,180 रुपए (48 अमरीकी डॉलर) या जीडीपी की 6.4 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वार्षिक हानि दर्शायी गई है (विश्व बैंक (2011)। अत:, अपर्याप्त स्वच्छता की लागतें और बेहतर स्वच्छता से अनुमानित लाभ काफी महत्वपूर्ण है। अधिकतर एसबीएम हस्तक्षेप और उनकी सहबद्ध लागतें सामुदायिक और पारिवारिक स्तर पर आती हैं। राष्ट्रीय सरकार के समग्र अंशदान का लगभग 8 प्रतिशत इस कार्यक्रम की सुपुर्दगी से जुड़ी सामाजिक और व्यवहारवादी परिवर्तन संचार लागतों के लिए आवंटित किया जाता है, जबकि शेष 92 प्रतिशत पारिवारिक शौचालयों और हाथ धोने के स्थानों पर प्रोत्साहन राशि के रूप में खर्च किया जाना अपेक्षित है।

8.20 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से यूनिसेफ द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में स्वच्छ भारत मिशन के आर्थिक प्रभावों (हितलाभों) का मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन में पारिवारिक और सामुदायिक वित्तीय तथा आर्थिक हितलाभों और स्वच्छता तथा साफ-सफाई में सुधार लाने की लागतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अध्ययन में यह पाया गया था कि शौचालय का प्रयोग करने और हाथ धोने की आदत डालने से बीमारी की संभावना कम होने और निकटवर्ती शौचालय के कारण बचने वाले समय के कारण खुले में शौच से मुक्त गांव के प्रत्येक परिवार को औसतन लगभग 50,000 रुपए प्रतिवर्ष की बचत हुई थी।

लागत-हितलाभ अनुपातों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के तहत प्रस्तुत किया गया था, इस प्रकार प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग नीतिगत निष्कर्ष के साथ परिवारों के संबंध में हस्तक्षेप के प्रभाव का पता लगाने के लिए निकाले जाने वाले निष्कर्षों को अनुमत किया गया था। दूसरी ओर, लागतों में सरकारी या गैर-सरकारी भागीदारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सब्सिडी या संसाधनों सहित शौचालय और हाथ धोने के लिए स्थान हेतु निवेश तथा संचालनात्मक लागतों के साथ-साथ परिवारों की वित्तीय और गैर-वित्तीय लागतों को शामिल किया गया था।

8.21 इस अध्ययन के निष्कर्ष यह सुझाते हैं कि जब 10 वर्ष से अधिक की समयावधि के लिए लागतों और हितलाभों की तुलना की जाए और जब किसी समुदाय में 100 प्रतिशत परिवार शौचालय का प्रयोग करें, तब वित्तीय बचतें परिवार की वित्तीय लागतों की तुलना में औसतन 1.7 गुना तक बढ़ जाती हैं। निर्धनतम परिवारों के लिए, यह मान 2.4 गुना तक बढ़ जाता है। जब पारिवारिक समय की बचतों (निकटवर्ती शौचालय तक पहुंच और अपेक्षाकृत कम रुग्णता से) और शौचालय की साफ-सफाई तथा रख-रखाव के लिए समय का मूल्यांकन किया जाए, तब हितलाभ लागतों की तुलना में 3.0 गुना तक बढ़ जातें है। जब बचाई गई जिंदगियों के हितलाभ को शामिल किया जाए, तो हितलाभ लागतों की तुलना में 4.7 गुना तक बढ़ जाते हैं। यदि शौचालय

सारणी 2: विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में शौचालय के 100 प्रतिशत प्रयोग की दर से हितलाभ-लागत अनुपात

	पारिवारिक वित्तीय परिप्रेक्ष्य	पारिवारिक वित्तीय परिप्रेक्ष्य+ समय प्रभाव	पारिवारिक वित्तीय परिप्रेक्ष्य+ समय प्रभाव+बचाई	सामाजिक परिप्रेक्ष्य+ (सरकारी सब्सिडी सहित)
सभी	1.7	3	4.7	4.3
निर्धनतम	2.4	4	7	5.8
गुणवत्ता 2	1.4	3.3	5.4	4.7
गुणवत्ता 3	1.6	2.9	4.5	4
गुणवत्ता 4	1.7	2.9	4.3	3.9
धनी	2.1	2.8	4	3.7

स्रोत: भारत में स्वच्छ भारत मिशन के वित्तीय और आर्थिक प्रभाव - यूनिसेफ।

की लागत में सरकारी अंशदान को शामिल किया जाए तो व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिम्बित करते हुए, हितलाभ लागतों की तुलना में 4.3 गुना तक बढ़ जाते हैं (सारणी 2)।

8.22 भौतिक वातावरण पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावों के दृष्टिगत, यूनिसेफ द्वारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलकर किए गए हाल ही के अध्ययन में यह इंगित किया गया है कि इसका जल, मृदा और खाद्य से संदूषण को दूर करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह अध्ययन ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में से प्रत्येक राज्य के दस ओडीएफ और दस गैर-ओडीएफ गांवों की सूची के आधार पर किया गया था (कुल 20*3 = 60 गांव)। इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में संक्षिप्त सूची में रखे गए गांव में से यादृच्छिक विधि से प्रत्येक वर्गीकरण (ओडीएफ बनाम गैर-ओडीएफ) के चार गांवों को चुना गया था (कुल 8*3 = 24 गांव)। कुल मिलाकर, मल संदूषण के अनुसार, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों में, औसतन:

- उनके भूमिगत जल स्रोतों के संदूषण की संभावना 11.25 गुना कम थी (केवल मानवों के लिए पता लगाए जा सकने योग्य संदूषण से 12.7 गुना कम)
- उनके मृदा संदूषण की संभावना 1.13 गुना कम थी, खाद्य संदूषण की संभावना 1.48 गुना कम थी और पारिवारिक पेयजल संदूषण की संभावना 2.68 गुना कम थी।

8.23 इस अध्ययन के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि ये महत्वपूर्ण कमियां संभवत: स्वच्छता और साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार और नियमित निगरानी जैसी सहायक प्रणालियों के कारण आई हैं।

भावी राह

8.24 स्वच्छ भारत मिशन से समाज में उल्लेखनीय बदलाव आया है और सुस्पष्ट हितलाभ प्राप्त हुए हैं। यह विश्व में चलाए गए सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक है। कई राज्यों ने 100 प्रतिशत ओडीएफ और आईएचएचएल कवरेज की स्थिति हासिल कर ली है, जिससे लोगों, खासतौर पर महिलाओं, की प्रतिष्ठा में काफी बदलाव आया है। यह मिशन विद्यालयों, सड़कों और पार्कों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में लिंग विशिष्ट शौचालयों के निर्माण के जरिए लिंग भेद को समाप्त करने हेतु एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस सार्वजनिक अभियान का विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन अनुपात में वृद्धि होने और स्वास्थ्य मानकों में सुधार आने से समाज पर अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

8.25 स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से, 99.2 प्रतिशत ग्रामीण भारत कवर कर लिया गया है। 2 अक्टूबर, 2014 से, पूरे देश में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जा चुके है और 564,658 गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके है। सभी के लिए स्वच्छता की ओर भारत की असाधारण यात्रा ने यह सुनिश्चित करते हुए कि लोगों की चेतना में व्यवहारवादी परिवर्तन ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए हैं। इस मिशन से भारत के नागरिकों में व्यापक व्यवहारवादी बदलाव आया है। यह मिशन लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 2030 के वैश्विक धारणीय विकास एजेंडा और धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) विशेषतौर पर एसडीजी 6.2 - ''2030 तक, महिलाओं और बालिकाओं तथा सुभेद्य परिस्थितियों में रहने वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देकर, सभी के लिए पर्याप्त और समतुल्य स्वच्छता और सफाई तक पहुंच हासिल करना और खुले में शौच को समाप्त करना'' के भी समरूप बनाया गया है।

8.26 फिर भी, भारत के समक्ष चुनौती काफी बड़ी है। स्वच्छ भारत के लिए शौचालयों का निर्माण समाधान का एक हिस्सा है। स्वच्छ भारत के लिए विभिन्न पहलू हैं। स्वच्छ भारत का स्वप्न इन बहु-पहलुओं - व्यक्तिगत घरों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की संस्कृति को बनाए रखकर,जल निकायों को साफ रखकर, वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक की चुनौती के समाधान, वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि का समाधान करके ही साकार किया जा सकता है।

8.27 सृजित संवेग और व्यवहारवादी परिवर्तन को बनाए रखने के लिए, मूलभूत स्तर पर ''परिवर्तन के एजेंटों'' की प्रेरणा, क्षेत्रीय एजेंटों को प्रशिक्षण देने, अभियान को आगे बढ़ाने और विशेषतौर पर स्वास्थ्य लाभों के संबंध में अभियान चलाने और जागरूकता लाने के लिए स्वच्छता एंबेस्डरों की नियुक्ति, उपयोगकर्ताओं से प्रणालीगत फीडबैक लेने जैसी अनेक कार्रवाइयां निरंतर चलानी होंगी। सीवर निर्माण और जल उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

8.28 इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस तथा तरल अपशिष्ट का 100 प्रतिशत निपटान हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। फिलहाल, कई राज्य इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हम वापस उसी स्थिति में वापस जा सकते हैं जहां हम कुछ वर्ष पहले थे। इस मिशन का आगामी एजेंडा अपशिष्ट के सुरक्षित और प्रभावी निपटान के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति करती है, उसी प्रकार लोगों को भी विभिन्न कार्यकलापों - बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य, परिवहन, अस्पताल और पर्यटन प्रयोजन हासिल करने के लिए - सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की संस्कृति को दृढ़तापूर्वक अपना कर आगे बढ़ना चाहिए तथा इसे बनाए रखना स्वच्छ भारत का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए।

8.29 केंद्र और राज्यों के बीच औद्योगिक कचरे का उपचार, जल-निकासी जैव-उपचार, नदियों के तल की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता, रिवर फ्रंट विकास, वृक्षारोपण तथा जैव-विविधता संरक्षण आदि जैसे समन्वित कार्यकलापों के अलावा, नदियों की सफाई स्वच्छ भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए।

8.30 स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सृजित संवेग को बनाए रखने के लिए, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के

साथ-साथ सोच में बदलाव को सुनिश्चित करना होगा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न ग्रामीण गांवों की वार्षिक निगरानी की गारंटी देनी होगी ताकि विभिन्न नीतियों को प्रभावशाली ढंग से तैयार और क्रियान्वित किया जा सके। चूंकि संसाधनों की अपेक्षा काफी विशाल है, अत: विशिष्ट संदर्भों और हस्तक्षेपों में विभिन्न वित्तीय उपस्करों की उपयुक्तता तलाश कर नवाचारी वित्तपोषण तंत्रों को सुविधाजनक और लम्बे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, सूक्ष्म-वित्तपोषण, रियायती ऋण, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थानीय सरकारी वित्तपोषण के अनुरूप व्यापक जन निधियन। निजी भागीदारी और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से, विशिष्ट संदर्भों में, अपशिष्ट निपटान के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों की अधिप्राप्ति तथा लोगों को जागरूक बनाने हेतु निधियों का सुगम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकता है। तथापि, सरकारों को स्वच्छता में सुधार के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक विकास हेतु मुख्य निर्धारकों में से एक हैं।

8.31 स्वच्छ भारत पर्यावरण हितैषी हरित भारत भी होना चाहिए। आस-पास की जगह को साफ रखने और स्वच्छता को बनाए रखने से अत्यधिक पर्यावरणीय लाभ होंगे। स्वच्छ भारत मिशन में दीर्घावधिक स्थिरता और सुधारों के लिए पर्यावरणीय और जल प्रबंधन मुद्दों को शामिल करने की आवश्यकता है। जल उपलब्धता से संबंधित मुद्दे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और अत्यधिक खराब मौसम के मामले में और भी अधिक बदतर हो जाने की संभावना है। इसलिए, भविष्य में शौचालय और स्वच्छता अवसंरचना में निवेश के लिए स्थिरता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल करने और पर्यावरण-हितैषी स्वच्छता प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता हैं। अंतत: मिलजुलकर ये प्रयास करने से हम *स्वच्छ* (क्लीन), *स्वस्थ* (हैल्दी) और *सुन्दर* (ब्यूटीफुल) भारत, जिसका हमने सपना देखा है और जिसे हम भावी पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते है, की रचना कर सकते हैं। यही 'राष्ट्रपिता' को सच्ची श्रृद्धांजलि होगी।

अध्याय, एक नजर में

- स्वच्छ भारत मिशन, विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक, इससे उल्लेखनीय बदलाव आया है और दृष्टव्य स्वास्थ्य प्रसुविधाएं प्राप्त हुई हैं।
- भारत की स्वतंत्रता के 67 वर्ष बाद भी, वर्ष 2014 में, भारत में लगभग 10 करोड़ ग्रामीण और लगभग 1 करोड़ शहरी परिवारों के पास स्वच्छ शौचालय नहीं थे; 56.4 करोड़ से अधिक लोग, अर्थात् लगभग आधी आबादी, अभी भी खुले में शौच के लिए जाते है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से, 99.2 प्रतिशत भारत कवर कर लिया गया है। 2 अक्टूबर, 2014 से, पूरे देश में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं और 564,658 गांव खुले में शौच में मुक्त घोषित कर दिए गए हैं।
- खुले में शौच से मुक्त होने से, विशेषतौर पर पांच वर्ष से कम आयु के बालकों में, अतिसारजन्य, मलेरियाजन्य मौतों, खासकर मृत शिशु जन्म और 2.5 किग्रा. से कम भार वाले बच्चों के जन्म में कमी आई है, जिससे बालकों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार आया है। यह प्रभाव खासकर उन जिलों में उल्लेखनीय है, जहां आईएसएचएम कवरेज कम थी।
- पारिवारिक शौचालय से परिवार की वित्तीय लागतों की तुलना में वित्तीय बचतों में औसतन 1.7 गुना और अत्यधिक गरीब परिवारों में 2.4 गुना तक की बढ़ोतरी होती है।
- आगे की राह, स्वच्छ भारत मिशन में दीर्घावधि में धारणीय सुधारों हेतु पर्यावरणीय और जल प्रबंधन मुद्दों को शामिल करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

Dalberg. 2019. "*Summary Report: Assessment of ODF Environments on Faecal Contamination of Water, Soil, and Food.*"

Ministry of Drinking Water and Sanitation. Government of India. 2017. "*The Sanitation Health Impact Assessment Study.*"

UNICEF. 2019. "*Assessment of IEC Activity-Swachh Bharat Mission (Gramin) 2014-19.*"

Water Aid and Oxford Economics. (2016). "*The True Cost of Poor Sanitation*."

WHO UNICEF. 2017. "*Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene: Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene.*"

World Bank. 2011. New Delhi. Water and Sanitation Program "*Economic Impacts of Inadequate Sanitation in India.*"